

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:- 25/2017

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1- ओमाराम पुत्र भीयाराम
जाति प्रजापत निवासी ज्योतिनगर,
पीली टंकी, चांदणा भाकर, तह.
व जिला जोधपुर।

1- राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन
अधिकारी मण्डोर, जोधपुर।
2- न्यायालय सहायक वन संरक्षक
जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश
दिनांक 26.04.2017 बेकब्जा व बेदखली जो न्यायालय सहायक वन
संरक्षक जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2016 सरकार बनाम
ओमाराम में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक 21.08.2017

- 1- श्री मुकेश मेहरा अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2- श्री जयकिशन पुरोहित विभागीय परोकार (क्षेत्रीय वन अधिकारी मंडोर)

:- आदेश :-

अपील अपीलार्थी तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम गेंवा के ख.नं.
814 के 0.0001 हेक्टर वन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर गैर कानूनी रूप
से कब्जा करने की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर द्वारा सहायक वन संरक्षक
जोधपुर के समक्ष पेश की गई। सहायक वन संरक्षक जोधपुर ने धारा 91, राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी/अप्रार्थी को नोटिस
जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई कर दिनांक 26.04.2017 को
अपीलार्थी/अप्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण मानते हुए
बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह
अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं मूल
अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित हुए
तथा मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से दिनांक 17.07.2017 को
लिखित बहस पेश होने के पश्चात् दिनांक 02.08.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता
एवं प्रत्यर्थीपक्ष के विभागीय प्रतिनिधि श्री जयकिशन पुरोहित की गुणावगुण पर बहस
सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी अपने
परिवार सहित पिछले 25 से 30 वर्षों से निरन्तर बरोकटोक विवादग्रस्त भूमि पर
काबिज और निवास करती आ रही है तथा कब्जा बाबत उसके पास नगर सुधार
न्यास, नगर निगम आदि की रसीदात एवं निवास संबंधी बने दस्तावेज, राशन कार्ड
आदि बने हुए हैं। बहस में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र विभाग को
फायदा पहुंचान की नियत से अनुचित रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया
जो निरस्त योग्य है। बहस में आगे बतलाया कि प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा मौके की स्थिति एवं
वनभूमि के नाम कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज
पेश किया गया कि कौन से खसरे वन विभाग के क्षेत्राधिकार में हैं एवं न ही तरमीम
संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत हुए। बहस के निरन्तर में कहा कि अपीलार्थी श्रमिक वर्ग एवं
बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं तथा बेदखल करने से उसके परिवार के

निरस्त करने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पुनः सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से उपस्थित विभागीय पेरोकार श्री जयकिशन पुरोहित ने बहस में बतलाया कि उनकी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करने की बात करते हुए बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीपक्ष का बिज होना बतलाया गया, उस पर मालिकाना हक का दस्तावेज उनके पास नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गेंवा के ख. नं. 814 की भूमि वनभूमि है। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलार्थी ने यह सिद्ध नहीं किया गया कि जिस भूमि पर उसका कब्जा है वो भूमि वन विभाग के अलावा अन्य भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 की कार्यवाही में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। विवादग्रस्त भूमि न तो नगर निगम की है, न जे.डी.ए.जोधपुर की है एवं न ही इनके द्वारा कोई क्लेम किया गया अतः मात्र वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे के आधार पर वन भूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। बहस में यह भी कहा कि वन विभाग की भूमि बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट पीटिशन नं. 202/1995 में दिये गये आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन करने से अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से विवादग्रस्त भूमि पर 25 से 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होने से संबंधित दस्तावेज न अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये, न इस न्यायालय के समक्ष पेश किये गये अतः अपीलार्थीपक्ष का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि पर उसका पुराना कब्जा वैधानिक रूप से चला आ रहा हो। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 814 कुल रकबा 722.07 बीघा गै.मु.पहाड़ वनखण्ड चानणा की विज्ञप्ति दिनांक 12.07.1990 जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 05.11.1992 को हुआ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 में वर्णित "वन भूमि" शब्द से तात्पर्य है आरक्षित वन, सुरक्षित वन या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में प्रविष्ट किया गया कोई क्षेत्र, भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित वन भूमि भी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला) की परिधि में आयेगी। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार विवादग्रस्त भूमि वनभूमि है।

उपरोक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त भूमि वनभूमि होने एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटिशन नं. 202/1995 टी.एन. गोरावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 12.12.1996 को दृष्टिगोचर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।